निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण सख्या:–53/2020(रे0वाद)
दायर दिनांकः– 08/10/2020
निर्णय दिनांकः– 07/03/2025

अनवान

1. भैरूसिंह पिता नाथूसिंह जाति बल्ला निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

———वादी

बनाम

1. मिठु पिता छोगा जाति कलाल निवासी मालकोट तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. प्रभूप्रकाश पिता सालगराम जाति मेवाड़ा निवासी शनिमहाराज के मंदिर के पास आमेट तहसील आमेट जिला राजसमन्द **फौत**
3. घनश्याम पिता प्रभूप्रकाश निवासी शनिमहाराज के मंदिर के पास आमेट तहसील आमेट जिला राजसमन्द
4. दीपक पिता प्रभूप्रकाश निवासी शनिमहाराज के मंदिर के पास आमेट तहसील आमेट जिला राजसमन्द
5. फर्म बाहुबली ग्रेनाईट नासरिदा हाउस पथिक नगर बिजोलिया जिला भीलवाड़ा जरिये भागीदार भैरूसिंह पिता नाथूसिंह जाति बल्ला निवासी देवगढ़ जिला राजसमन्द
6. आशीष कुमार पिता राकेश कुमार जाति जैन निवासी सलावटिया जिला भीलवाड़ा
7. अनिलकुमार पिता सुगनलाल जाति धाकड़ निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजोलिया जिला भीलवाड़ा
8. खान एवं भू–विज्ञान विभाग, आमेट जरिये खनि अभियंता आमेट जिला राजसमन्द
9. खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजसमन्द जरिये अधीक्षण खनि अभियंता वृत्त राजसमन्द जिला राजसमन्द
10. राजस्थान जरिये तहसीलदार, देवगढ़ जिला राजसमन्द
11. राजस्थान जरिये जिला कलक्टर महोदय, राजसमन्द

———प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वादी की ओर से – श्री गोवर्धनलाल गुर्जर, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से – श्री धर्मेश शर्मा, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 01।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

–:निर्णयः–

आज यह पत्रावली प्रार्थना–पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–10 के अन्तर्गत बाबत् निर्णय प्रस्तुत हुई। प्रकरण का सुक्ष्म एवं सारतः वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–53, 188 के तहत हाजा न्यायालय में वाद संख्या 53/2020 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मालकोट पटवार मण्डल काकरोद तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द अवस्थित आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त आराजी हैं। उक्त संयुक्त आराजी पर विधिवत् रूप से मिट्स एण्ड बाउण्ड्स खाता विभाजन कर प्रतिवादी संख्या 01, 02, 07, 08, 09, 10 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण असालतन–वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा द्वारा प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–10 के अन्तर्गत प्रार्थना प्रस्तुत कर वादपत्र पर कार्यवाही स्थगित करते हुए निम्न प्रकार निवेदन किया कि– वादी ने आप न्यायालय में राजस्व ग्राम मालकोट, पटवार हल्का काकरोद की आराजी संख्या 189 रकबा 2.7800 हैक्टेयर आराजी संख्या 190 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 191 रकबा 3.5300 हैक्टेयर के संबंध में इस आशय का पेश किया है कि वादग्रस्त भूमि उसकी खातेदारों से खरीद शुदा भूमि है तथा उक्त भूमि वादी ने प्रतिवादी के विरूद्ध विभाजन एवं निषेधाज्ञा चाही है। वादी ने वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में आप न्यायालय में एक वाद बाबत् धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर रखा है जो बअनवान भैरूसिंह बनाम मिठु वगैराह है जिसके मुकदमा नम्बर 99/2012 रे0 वाद होकर वास्ते सुनवाई जैर पेण्डिग है। आप न्यायालय में प्रस्तुत वाद में पूर्व में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में अर्थात दोनों वाद में वादी स्वयं वादी एवं दोनों वाद में प्रतिवादी स्वयं प्रतिवादी राज्य सरकार व विभाग प्रतिवादी है। एक ही जायदाद के संबंध में वादी ने आप न्यायालय में दो वाद पेश कर रखे है व दोनों में समान अनुतोष

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

भी समान मांग रखे है। कानून एक ही विषय के संबंध में एक से अधिक वाद न्यायालय में वाद विचाराधीन नहीं हो सकते है ऐसी स्थिति में अलग अलग वाद में अलग अलग निर्णय होने की स्थिति रहती है एवं विरोधाभाषी निर्णय होने की संभावना पूर्ण है वैसे भी पूर्व में किसी न्यायालय में वाद विचाराधीन है तो पश्चातवर्ती वाद को कानूनन स्थगित किया जाना आवश्यक है कानूनन की भी यही मंशा है। न्यायहित में वादी द्वारा यह प्रस्तुत पश्चातवर्ती वाद कानूनन न्यायहित में स्थगित किया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थना स्वीकार फरमाया कर उक्त वाद की कार्यवाही स्थगित की जावें।

अधिवक्ता वादी ने सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–10 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का जबाब पेश किया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित प्रकरण संख्या 99/2012 खारिज हो चुका है पेण्डिग नहीं है। प्रार्थना के पद संख्या 03 में पूर्व के वाद पेण्डिग नहीं है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य अस्वीकार है कोई वाद पेण्डिग नहीं है। अतः श्रीमान् प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

Provision

प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया है। प्रकरण में वादपत्र में संशोधन हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–10 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–10 के प्रावधान का प्रकरण में अवलोकन किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–10 के प्रावधान का उद्धरण इस प्रकार हैः–

> ***10. Stay of suit.—***
> *No Court shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties, or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title where such suit is pending in the same or any other Court in India have jurisdiction to*

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

grant the relief claimed, or in any Court beyond the limits of India established or continued by the Central Government and having like jurisdiction, or before the Supreme Court.

Explanation.—*The pendency of a suit in a foreign Court does not preclude the Courts in India from trying a suit founded on the same cause of action.*

Interpretation

1. प्रकरण में विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–10 के प्रावधान की माननीय न्यायालयों द्वारा की गई व्याख्या का अवलोकन किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा सिविल अपील *2908/2013* उनवान ***Aspi Jal And Anr vs Khushroo Rustom Dadyburjor*** में दिनांक 05.04.2013 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–10 के प्रावधान की विस्तृत व्याख्या (Interpretation) की है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः–

> *From a plain reading of the aforesaid provision, it is evident that where a suit is instituted in a Court to which provisions of the Code apply, it shall not proceed with the trial of another suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties. For application of the provisions of Section 10 of the Code, it is further required that the Court in which the previous suit is pending is competent to grant the relief claimed. The use of negative expression in Section 10, i.e. "no court shall proceed with the trial of any suit" makes the provision mandatory and the Court in which the subsequent suit has been filed is prohibited from proceeding with the trial of that suit if the conditions laid down in Section 10 of the Code are satisfied. The basic purpose and the underlying object of Section 10 of the Code is to prevent the Courts of concurrent jurisdiction from simultaneously entertaining and adjudicating upon two parallel litigations in respect of same cause of action, same subject matter and the same relief. This is to pin down the plaintiff to one litigation so as to avoid the possibility of contradictory verdicts by two courts in respect of the same relief and is aimed to protect the defendant from multiplicity of proceeding.*

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

2. उक्त विश्लेषण एवं न्यायिक दृष्टांतों द्वारा प्रतिपादित कानूनी सिद्धांतों के परिपेक्ष्य में स्पष्ट है कि सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–10 के निम्न मुख्य उद्देश्य (Basic objects) प्रतीत होते हैं–

1. समान विवाद एवं समान प्रकरण वाले दो या अधिक समानांतर वादपत्र पर समवर्ती क्षैत्राधिकार वाले न्यायालयों को समानांतर विचारण करने से रोकना।
2. समान विवाद एवं समान प्रकरण वाले दो या अधिक समानांतर वादपत्र पर समवर्ती क्षैत्राधिकार वाले न्यायालयों को परस्पर विरोधी निष्कर्ष वाले निर्णय करने से रोकना।

Role/Power of Court

3. प्रकरण में विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–10 के प्रावधान के अनुप्रयोजन में न्यायालय की भूमिका, शक्तियां व दृष्टिकोण के बारे में विस्तार से समझना उचित प्रतीत होता है। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 2082/1998 उनवान ***Pukhraj D. Jain & Ors vs G. Gopalakrishna*** में दिनांक 16.04.2004 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–10 के तहत न्यायालय की भूमिका एवं शक्तियों (Role/Power of Court) को स्पष्ट करते हुए निम्न दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

> *8. The proceedings in the trial of a suit have to be conducted in accordance with provisions of the Code of Civil Procedure. Section 10 CPC no doubt lays down that no court shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title where such suit is pending in the same or any other Court in India having jurisdiction to grant the relief claimed. However, mere filing of an application under section 10 CPC does not in any manner put an embargo on the power of the court to examine the merits of the matter. The object of the section is to prevent Courts of concurrent jurisdiction from simultaneously trying two parallel suits in respect of the same matter in issue. The section enacts merely a rule of procedure and a*

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

> *decree passed in contravention thereof is not a nullity. It is not for a litigant to dictate to the court as to how the proceedings should be conducted, it is for the court to decide what will be the best course to be adopted for expeditious disposal of the case. In a given case the stay of proceedings of later suit may be necessary in order to avoid multiplicity of proceedings and harassment of parties. However, where subsequently instituted suit can be decided on purely legal points without taking evidence, it is always open to the court to decide the relevant issues and not to keep the suit pending which has been instituted with an oblique motive and to cause harassment to the other side.*

4. उपरोक्त विधिक प्रावधान एवं न्यायिक दृष्टांतों के संदर्भ में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–10 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मूलतः एवं सारतः वाले पूर्ववर्ती वाद के सक्षम न्यायालय में विचाराधीन रहते हुए समान पक्षकारों के मध्य समान विषय–वस्तु को लेकर पश्चात्वर्ती वाद के विचारण के न्यायालय को प्रतिबंधित किया गया है। उक्त कानूनी प्रावधानों न्यायिक दृष्टांतों के संदर्भ में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–10 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र उक्त प्रावधान व न्यायिक दृष्टांतों द्वारा प्रतिपादित परीक्षण पर जांच किया जाना आवश्यक है।

5. प्रकरण में उक्त कानूनी प्रावधानों न्यायिक दृष्टांतों के संदर्भ में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–10 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की उक्त प्रावधान व न्यायिक दृष्टांतों द्वारा प्रतिपादित परीक्षण पर पूर्ववर्ती व पश्चात्वर्ती वादपत्र की तुलनात्मक विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में पत्रावली व प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादी व प्रतिवादी संयुक्त आराजी में सहकाश्तकार हैं। संयुक्त आराजी के सहकाश्तकार मिठु पिता छोगा व अन्य के हिस्से को लेकर वादी व प्रतिवादी के मध्य विवाद की स्थिति होने से न्यायालय हाजा में प्रकरण संख्या 99/2012 वाद विचाराधीन था। प्रकरण संख्या 99/2012 वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हुआ। जिसे वादी द्वारा पुनः नम्बर पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर वाद संख्या 53/2020 दायर किया गया।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

6. उक्त वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में वरिष्ठ सिविल न्यायालय देवगढ़ में भैरूसिंह बनाम मिठालाल वाद जैर पेडिंग है जिसकी प्रतियां प्रतिवादी अधिवक्ता ने पेश किया है जो शामिल पत्रावली है। अगर किसी वाद में किसी पक्षकार द्वारा अपने अभिवचनों की चतुराई पूर्वक शब्दों के हेरफेर व चतुराईपूर्वक प्रारूपण किये जाने से भिन्न–भिन्न विषयवस्तु का छद्म प्रस्तुतीकरण किये जाने का प्रयास किया जाता है। उस स्थिति में न्यायालय की विशेष भूमिका की अपेक्षा की जाती है। साथ ही प्रक्रियात्मक कानून की तकनीकी खामियों से न्यायालय विवश ना होकर अपनी अंतर्निहित शक्तियों का स्वतः प्रयोग लेकर किसी प्रकरण में सभी पक्षकारों के मध्य विवादग्रस्त विषयवस्तु के प्रभावी व समग्र निस्तारण हेतु न्यायालय आवश्यक कदम उठा सकता है।

7. इसके साथ ही सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–10 के तहत पूर्ववर्ती व पश्चात्वर्ती वाद में विवाद की मुख्य विषय वस्तु समान होने पर पश्चात्वर्ती वाद की कार्यवाही स्थगित किये जाने के प्रावधान हैं। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय को पूर्ववर्ती व पश्चात्वर्ती वाद के वादी व प्रतिवादी के अभिकथनों को सारतः समझते हुए विवाद के मुख्य विषय वस्तु का चिन्हीकरण किये जाने की अपेक्षा की जाती है। अगर किसी वाद में किसी पक्षकार द्वारा अपने अभिवचनों की चतुराई पूर्वक शब्दों के हेरफेर व चतुराईपूर्वक प्रारूपण किये जाने से भिन्न–भिन्न विषयवस्तु का छद्म प्रस्तुतीकरण किये जाने का प्रयास किया जाता है। उस स्थिति में न्यायालय की विशेष भूमिका की अपेक्षा की जाती है। साथ ही प्रक्रियात्मक कानून की तकनीकी खामियों से न्यायालय विवश ना होकर अपनी अंतर्निहित शक्तियों का स्वतः प्रयोग लेकर किसी प्रकरण में सभी पक्षकारों के मध्य विवादग्रस्त विषयवस्तु के प्रभावी व समग्र निस्तारण हेतु न्यायालय आवश्यक कदम उठा सकता है। हस्तगत प्रकरण में पूर्ववर्ती व पश्चात्वर्ती वाद के वादी व प्रतिवादी के अभिकथनों को सारतः समझते हुए विवाद के मुख्य विषय वस्तु का चिन्हीकरण किये जाने के पश्चात् उक्त दोनों दावा के मध्य विषयवस्तु की समानता पाता है। अतः आदेश दिया जाता है कि–

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

भैरूसिंह बनाम मिठु व अन्य
53/2020 (रे0वाद)
निर्णय दिनांकः– 07/03/2025

प्रतिवादी का उक्त सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–10 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं हाजा न्यायालय में विचाराधीन दावा संख्या 53/2020 में कार्यवाही स्थगित करने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 07/03/2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

सहायक कलेक्टर, देवगढ़
जिला राजसमन्द (राज.)